

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं० : 1062 सन 2020

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मनी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
2. गुलाबी पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
3. बिमला पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
4. सावत्री पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
5. कमला पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
6. बादो पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

असल प्रतिवादी

8. तारामणी पत्नी नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
9. संजीव पुत्र नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
10. रमन पुत्री नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
11. पूजा पुत्री नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420 हैक् में से 453/4742 हिस्सा यानी 0.453 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा 453/4742 हिस्सा भूमि वादी के भाई नरेन्द्र के नाम से दर्ज है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 453/471 की कुल 6.9300 हैक् भूमि में से 41/315 हिस्सा यानी 0.902 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 41/1260 हिस्सा भूमि दर्ज है व ढाणी लालखां के खाता संख्या 76/76 की कुल 4.2110 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 1.40 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

मदनलाल पुत्र ईशरराम के एक पुत्र नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्री /पत्नी है अर्थात् नरेन्द्र के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है जो नरेन्द्र के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 , वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 , ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 8 ता 11 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , 8 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर

वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मदनलाल पुत्र ईशरराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 8 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 ता 11 के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420 हैक् में से 453/4742 हिस्सा यानी 0.453 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा 453/4742 हिस्सा भूमि वादी के भाई नरेन्द्र के नाम से दर्ज है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 453/471 की कुल 6.9300 हैक् भूमि में से 41/315 हिस्सा यानी 0.902 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 41/1260 हिस्सा भूमि दर्ज है व ढाणी लालखां के खाता संख्या 76/76 की कुल 4.2110 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 1.40 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

मदनलाल पुत्र ईशरराम के एक पुत्र नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्री /पत्नी है अर्थात् नरेन्द्र के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है जो नरेन्द्र के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420 हैक् में से 453/4742 हिस्सा यानी 0.453 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा 453/4742 हिस्सा भूमि वादी के भाई नरेन्द्र के नाम से दर्ज है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 453/471 की कुल 6.9300 हैक् भूमि में से 41/315 हिस्सा यानी 0.902 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 41/1260 हिस्सा भूमि दर्ज है व ढाणी लालखां के खाता संख्या 76/76 की कुल 4.2110 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 1.40 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि मदनलाल पुत्र ईशरराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मदनलाल पुत्र ईशरराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज

2

होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। मदनलाल के पुत्र नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्र/पत्नी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है जो नरेन्द्र के हक हिस्सा की भूमि को पाने के अधिकारी है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 8 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420हैक् में से 453/4742 हिस्सा यानी 0.453हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 453/471 की कुल 6.9300हैक् भूमि में से 41/315 हिस्सा यानी 0.902हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व ढाणी लालखां के खाता संख्या 76/76 की कुल 4.2110हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 1.40हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420हैक् में से 453/4742हिस्सा भूमि मृतक नरेन्द्र के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
2. गुलाबी पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
3. बिमला पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
4. सावत्री पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
5. कमला पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
6. बादो पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

8. तारामणी पत्नी नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
9. संजीव पुत्र नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
10. रमन पुत्री नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
11. पूजा पुत्री नरेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1062 सन 2020 निर्णय दिनांक- 06/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420हैक में से 453/4742 हिस्सा यानी 0.453हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 453/471 की कुल 6.9300हैक भूमि में से 41/315 हिस्सा यानी 0.902हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व ढाणी लालखां के खाता संख्या 76/76 की कुल 4.2110हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.40हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 651 की कुल 4.7420हैक में से 453/4742हिस्सा भूमि मृतक नरेन्द्र के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)